राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांकः– राम/भू0अ0/ई–3/प–15/2007/ 6981 दिनांकः– 15/05/15

:– परिपत्र –:

जिला कलेक्टरों से पटवारी/भू0अ0निरीक्षकों जिनका संतोषजनक सेवा अभिलेख नहीं होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान के संबंध मण्डल से मार्गदर्शन चाहा जाता रहा है मण्डल द्वारा श्री हरिभजन मीना पटवारी टोंक के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया था जिसके क्रम में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(18)राज–1/2015 दिनांक 15/4/2015 के द्वारा अवगत कराया है कि जितनी अवधि के लिये आस्थगित(**Defer**)की गई है,उतनी ही अविध के लिये द्वितीय एवं तृतीय एसीपी आस्थगित **Defer**)की जावेगी । जैसे किसी कर्मचारी को प्रथम एसीपी 2 वर्ष पश्चात् की तिथि यानि 11 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत की जावेगी तथा तृतीय एसीपी 29 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत की जावेगी ।

उक्त राय वित्त (नियम)विभाग की आई.डी. संख्या 211500202 दिनांक 7/4/2015 के द्वारा प्रदत्त की गई है ।

अतः सभी जिलों कलेक्टरों को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रथम/द्वितीय चयनित वेतनमान संतोषंजनक सेवा अभिलेख नहीं होने के कारण जितनी अवधि के लिये आस्थगित (**Defer**) की गई है,उतनी ही अवधि के लिये द्वितीय एवं तृतीय एसीपी आस्थगित **Defer**)की जावेगी ।

उपरोक्त परिपत्र की पूर्ण रूप से पालना की जावें ।

(सी.आर.मीणा)
निबंधक

क्रमांकः– सम/ 6982–7022 दिनांकः– 15/05/15
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1– संभागीय आयुक्त (समस्त)
2– जिला कलेक्टर (समस्त)
3– अतिरिक्त निबंधक (रातस)राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ।

(भोजकुमार)
उप निबंधक (भू0अ0)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर